न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/106
मिसलनम्बर– 33 / 2024

1.कमला बाई पत्नी श्री रामसिंह निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा केसर सिंह मारवाड़ी के पास, छावनी सब्जीमंडी कोटा राजस्थान

प्रार्थी।

बनाम

1.गोविन्द सिंह पुत्र श्री रामसिंह
2.तेजपाल सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह
3.कन्हैया सिंह पुत्र गोविंद सिह
4.हरिसिंह पुत्र श्री गोविंद सिंह
5.मुन्नी बाई पत्नि श्री गोविंद सिह निवासीगण छावनी रामचन्द्रपुरा केसर सिंह मारवाड़ी के पास, छावनी सब्जीमंडी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र)

दिनांक.....30/x/27

उपस्थिति:–

1.श्री परवेज आलम प्रार्थीया अधिवक्ता।
2.श्री हनीफ मोहम्मद अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया कमला बाई पत्नी श्री रामसिंह निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा, केसर सिंह मारवाड़ी के पास, छावनी, सब्जीमंडी, कोटा, राजस्थान की स्थाई निवासी है। प्रार्थीया एक 87 वर्षीय वृद्ध महिला हैं, जिसके पति का स्वर्गवास हो चुका हैं, और प्रार्थीया अपने परिवार के साथ छावनी रामचन्द्रपुरा, केसर सिंह मारवाड़ी के पास, छावनी, सब्जीमंडी, कोटा, राजस्थान में निवास करती हैं, जिसकी प्रार्थीया मालिक व काबिज है। जिसका पट्टा रजिस्ट्री प्रार्थीया के नाम ही बना हुआ है। अप्रार्थी कम– 1 प्रार्थीया का पुत्र व अप्रार्थी कम– 2 लगायत 4 प्रार्थीया के पौत्र व अप्रार्थी कम– 5 प्रार्थीया की पुत्रवधू है। प्रार्थीया के तीन पुत्र जसवन्त सिंह, अप्रार्थी कम– 1 गोविन्द सिंह व गजराज सिंह व दो पुत्रियाँ इन्द्रा बाई व सुन्दर बाई है। दोनो पुत्रियाँ अपने ससुराल में निवास कर रही हैं, तथा एक पुत्र गजराज महावीर नगर, कोटा में निवास करता हैं तथा पुत्र जसवन्त सिंह प्रेमनगर कोटा में अपने मकान में निवास करता हैं. और अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के उक्त मकान में निवास करते है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगडा करते हैं, तथा गाली–गलोच करते हैं, तथा मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं, तथा प्रार्थीया पर दबाव बनाते है कि वह यह मकान खाली करके निकल जायें, नही तो अप्रार्थीगण प्राथीया को जान से मारें मानेंगे। प्रार्थीया ने पूर्व में भी थाना गुमानपुरा कोटा में अप्रार्थीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दे रखी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हैं, जिस पर आज तक अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करते। दिनांक 17.03.2024 को प्रार्थीया की पुत्री सुन्दर बाई व उसका पति रघुवीर सिंह प्रार्थीया से मिलने घर आयें तो अप्रार्थीगण ने रघुवीर सिंह व सुन्दर बाई से अपशब्द बोलने लगे, और गाली–गलोच करने लगे और प्रार्थीया ने समझाया तो कहने लगे कि यहाँ मत आया करो, क्योकि यह मकान हमारा है, हम यहाँ किसी ओर को नही आने देंगे। उसी दिन शाम को प्रार्थीया का पुत्र जसवन्त सिंह भी प्रार्थीया से मिलने आया तो अप्रार्थीगण ने जसवन्त के साथ मारपीट की, और कहा कि दुबारा से यहाँ आया तो जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थीया अत्यधिक बुजुर्ग महिला हैं, पूर्व में भी प्रार्थीया के सांथ अप्रार्थीगण के द्वारा मारपीट की जा चुकी हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीया का कोई भरण पोषण नही करते, और ना ही प्रार्थीया की सेवा–सुश्रुषा करते और ना ही ईलाज–उपचार करवाते हैं, बल्कि उल्टा प्रार्थीया से पैसो की नाजायज मांग करते है। तथा प्रार्थीया को उसके निवास करने में व्यवधान उत्पन्न करते है। दिनांक 17.03.2024 को अप्रार्थीगण, प्रार्थीया व उसकी पुत्री सुन्दर बाई व उसके पति रघुवीर व प्रार्थीया के पुत्र जसवन्त सिंह के साथ गाली–गलोच की, और प्रार्थीया को मकान से बेदखल करने का प्रयास किया। इस कारण प्रार्थीया के पास उक्त याचिका प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। अतः परिवाद प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीया के पक्ष में आदेश पारित कियां जावें कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को उसके मकान में निवास करने में व्यवधान उत्पन्न नही करें, और ना ही उनके साथ गाली–गलोच व मारपीट करें, और प्रार्थीया को उनके मकान से बेदखल नही करें। तथा अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को भरण पोषण राशि दिलवाई जावें। विकल्प में निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के मकान से बेदखल किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो, वह भी प्रार्थीया को दिलवाई जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण उक्त मकान को निर्माण करने में प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 ने भी रकम खर्च की है। प्रार्थीया के दो पुत्र जशवन्त सिहं व गजराज सिहं भी है। इस प्रकार प्रार्थीया के तीन पुत्र है, पुत्र गजराज सिंह को निवास करने वास्ते मकान वाके कम्पीटीशन कोलोनी महावीर नगर कोटा में निवास करने के लिये प्रार्थीया के पति के द्वारा दिया गया था, उक्त मकान प्रार्थीया के पति एवं प्रतिपक्षी क्रम 1 के पिता के नाम था, किन्तु गजराज सिहं ने उक्त मकान के झूठे दस्तावेज बनाकर अपने नाम कर लिया है, इस प्रकार पुत्र गजराज सिंह कम्पीटीशन कोलोनी महावीर नगर कोटा में निवास कर रहा है। इसी प्रकार पुत्र जसवन्त सिह एवं प्रतिपक्षी क्रम 1 को उक्त मकान को मौखिक रूप से आधा–आधा हिस्सा कर बंटवारा कर दिया गया था, एवं उक्त मकान के बीच में दीवार खींच कर आधा मकान पुत्र गोविन्द सिहं प्रतिपक्षी क्रम 1 को एवं आधा मकान पुत्र जसवन्त सिहं को दे दिया था। वर्तमान में पुत्र जसवन्त सिंह, गोविन्द सिहं उसके घर वालों से लड़कर प्रेमनगर डीसीएम में निवास करने लग गया था, और वर्तमान में भी वहीं निवास कर रहा है। प्रार्थीया झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाती है, वृद्धावस्था होने से जसवन्त सिहं के लडकों लखन प्रताप सिहं ने आकर वर्ष 2020 में मारपीट की, जिसका मुकदमा चल रहा है, जसवन्त सिहं व गजराज सिहं भडकाकर लडाई करवा रहे है, जब गजराज सिंह ने पिता के मकान को फर्जी हस्ताक्षार कर अपने नाम कर लिया है, जो कम्पीटीशन कोलोनी, महावीर नगर कोटा में है, जसवन्त सिंह का पुत्र विरेन्द्र प्रताप सिंह अपनी दादी को भी ले गया, और मकान के समस्त दस्तावेज भी ले गया, जबकि गोविन्द सिंह एवं पुत्र तेजपाल ने मकान बनाने में रूपये लगाये, छत व कमरा बनवाया है। प्रार्थीया प्रतिपक्षी क्रम 1 के पास उसके परिवार के साथ निवास कर रही थी, किन्तु प्रार्थीया को पुत्र जसवन्त सिंह एवं गजराज सिंह एवं पुत्री सुन्दरबाई ने प्रार्थीया को प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध भडका दिया. और रंजिशवश प्रतिपक्षीगण को परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, क्योंकि प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थनापत्र में पुत्र जसवन्त सिहं एवं

उपखण्ड अधिकारी

गजराज सिहं को प्रतिपक्षी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि पुत्र जसवन्त सिहं एवं गजराज सिहं भी प्रार्थीया के पुत्र है। पुत्र गजराज सिहं एवं जसवन्त सिह ने प्रार्थीया को प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध भडकाकर पिछले तीन महीने पूर्व जसवन्त सिहं प्रार्थीया को अपने पास ले गया, तथा प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करवाया गया है, जबकि प्रार्थीया के पति स्वर्गीय श्रीराम सिहं जी जिनका करीब 22–23 वर्ष पूर्व देहावसान हो चुका है, प्रार्थीया के स्वर्गीय पति राम सिंह जी उद्यान विभाग में हैड चौकीदार के पद पर नियुक्त थे, उनकी पेन्शन पिछले 22–23 वर्ष से प्रार्थीया ले रही है, और वर्तमान में प्रार्थीया को करीब 16 हजार मासिक पेन्शन मिलती है, जो प्रार्थीया के जीवन निर्वाह के लिये काफी है, मात्र दुर्भावनावश प्रतिपक्षी क्रम 1 के दोनों भाईयों एवं बहिन सुन्दर बाई ने प्रार्थीया को प्रतिपक्षीगण को परेशान करने के लिये उक्त आवेदन प्रस्तुत करवाया है। जबकि प्रार्थीया प्रतिपक्षीगण के साथ पिछले कई वर्षो से निवास करती आ रही है, जबकि प्रार्थीया प्रतिपक्षीगण द्वारा उनकी वृद्धावस्था का ध्यान रखते हुये उनको समय पर खान–पान, चिकित्सा, साफ–सफाई, व अन्य देखरेख करते आये है। किंतु उक्त मकान स्वर्गीय श्री रामसिंह जी का होने के कारण गजराज सिंह व जसवन्त सिंह एवं सुन्दरबाई उक्त मकान में से हिस्सा लेने की गरज से प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करवाया गया है। प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ कभी कोई मारपीट नहीं की गई है, निवास करने से रोका नहीं गया है, आने–जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया है, और न ही कोई बेदखल करने के लिये किसी प्रकार का कार्य प्रतिपक्षीगण के द्वारा किया गया है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीया की ओर से दौराने बहस अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थीगण की ओर से बहस नही गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीया को मकान से बेदखल करने का कथन कर प्रार्थीया को उसके मकान में निवास करने में व्यवधान उत्पन्न नही करने, उसके साथ गाली–गलोच व मारपीट नही करने और प्रार्थीया को उनके मकान से बेदखल नही करने बाबत अप्रार्थीगण को पांबद करने का निवेदन किया है। प्रार्थीया वृद्ध महिला है, अप्रार्थीगण का दायित्व है कि वे वृद्धावस्था में प्रार्थीया की सेवा सुषुश्रा, करे। अतः न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थीया के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान छावनी रामचन्द्रपुरा केसर सिंह मारवाड़ी के पास, छावनी सब्जीमंडी कोटा में प्रार्थीया के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने से प्रार्थीया अपनी सार–संभाल एवं भरण पोषण करने में असमर्थ है। अतः अप्रार्थी नं0 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपनी माता को 4000/– मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांकः.........30/08/24.........को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा